MP Industrial Development Corporation limited

MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(Government of Madhya Pradesh Undertaking)

क्रमांक / 59 / एमपीआईडीसी / स्था–से.नि. 17 / 2018 / 215 भोपाल दिनांक 9 .03.2020

/ / आदेश / /

एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल हेतु सहायक यंत्री पद की सीधी भर्ती के लिए एम.पी. आनॅलाईन भोपाल के पत्र क्रमांक एम.पी.ओ / बी.डी. / 10442 दिनांक 03.09.2019 द्वारा उपलब्ध कराई गई चयन सूची सह प्रतीक्षा सूची अनुसार निम्नांकित चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान पे–बैण्ड–3 रु0 15600–39100 ग्रेड पे 5400 (छठवें वेतनमान) में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर सहायक यंत्री पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गये स्थान पर अस्थाई रुप से आगामी आदेश तक के लिए एतद्द्वारा पदस्थ किया जाता है:–

क्र	आवेदक का आवेदन क्रमांक	गेट स्कोर	अधिकारी का नाम	वर्तमान पता	श्रेणी	अभियांत्रिकी प्रभाग	पदस्थापना का स्थान
1	FC1219000401	955	श्री आसिफ रज़ा खान	C/O –हसीन अहमद खान, बलुआताल मोतीहारी, ईस्ट चम्पारन – 845401	अनारक्षित	सिविल	एमपी.आई.डी.सी, क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर
2	FC1219000667	943	श्री राजेन्द्र चौधरी	K-59 A, ज्योति नगर, कमला नेहरु नगर, जोधपुर – 342008	अनारक्षित	सिविल	एमपी.आई.डी.सी, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल
3	FC1219000356	912	श्री गीतेश पटेल	ग्राम एवं पोस्ट रायपुरिया, चुनार, मिर्ज़ापुर, उत्तरप्रदेश – 231304	अनारक्षित	इलेक्ट्रिकल	एमपी.आई.डी.सी, क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर
4	FC1219000928	904	श्री पुनीत वर्मा	91 – वार्ड, नं 18, प्राइमरी स्कूल के पास, मेन मार्किट, नर्मदा नगर, पुनासा, जिला खंडवा – 450119	अन्य पिछडा वर्ग	सिविल	एमपी.आई.डी.सी, क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर
5	FC1219001156	814	सुश्री नेहा बझैया	म.नं – 19, जूनियर एच. आई.जी कान्हा कुँज, फेस – 1, बंजारी, कोलार रोड, भोपाल – 462042	अनुसूचित जाति	सिविल	एमपी.आई.डी.सी, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

SECRETARIAT FOR SINGLE WINDOW SYSTEM
CIN : U51102MP1977SGC001392
"CEDMAP BHAWAN" 16-A, Arera Hills, Bhopal-462011 (India)
Tel. : (91) 755-2571830, 2575773, Fax : (91) 755-2559973, E-mail : facilitation@mpidc.co.in, Website : www.invest...

2. उपरोक्त निगम सेवकों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि निगम सेवा नियम 2017 एवं राज्य शासन के सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम–1961, म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं अन्य लागू नियमों के अन्तर्गत शासित होगी।

3. नियुक्त निगम सेवक की वरिष्ठता का निर्धारण एम.पी.आनॅलाईन द्वारा उपलब्ध कराई गई चयन सूची की वरीयता अनुसार रहेगा।

4. यह आदेश चयनित अभ्यर्थी द्वारा पुलिस द्वारा किए जाने वाले चरित्र सत्यापन के संबंध में दिये गये शपथ पत्र में दी गई जानकारी के अधीन रहेगा एवं चरित्र सत्यापन के पुलिस प्रतिवेदन में यदि निगम सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।

5. नियुक्त निगम सेवक को आदेश जारी होने के पश्चात दिनांक 07 अप्रैल 2020 तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा समयावधि पश्चात सम्बन्धित अधिकारी के सन्दर्भ में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा।

6. शासकीय / अर्द्ध शासकीय / विभागों / निकायों में कार्यरत अभ्यर्थियों को कर्त्तव्य पर उपस्थिति के पूर्व अपने पूर्व नियुक्तिकर्ता अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. यह नियुक्ति आदेश उसी स्थिति में प्रभावशील होगा यदि सम्बंधित अभ्यर्थी शारीरिक दृष्टि से योग्य होने का जिला मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करेगा।

8. संबंधित निगम सेवक को कार्यभार ग्रहण करते समय संबंधित कार्यालय में अपने मूल दस्तावेज आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि की मूल प्रति के साथ सत्यापित प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी। इसकी जाँच उपरांत पदस्थापना कार्यालय के संबंधित अधिकारी मूल दस्तावेज अभ्यर्थी को वापस लौटाएंगे एवं इसमें किसी प्रकार की कोई संदेहास्पद स्थिति निर्मित होती है तो अधिकारी को कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाएगा एवं इसकी सूचना सम्बंधित अधिकारी द्वारा तत्काल प्रबन्ध संचालक एम.पी. इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को उपलब्ध कराने का पूर्ण दायित्व रहेगा।

9. इस आदेश से नियुक्त निगम सेवक कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारुप में चरित्र सत्यापन हेतु शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण स्थल के कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगा।

-2-

10. परिवीक्षा अवधि में यदि निगम सेवक पदत्याग करना चाहेगा तो वह 01 माह का समयावधि नोटिस अथवा एक माह का वेतन जमा कर सेवा से पृथक हो सकेगा।

11. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम–1994 (क्रमांक 21 सन 1994) के उपबंधों का अधिनियम के उपबंधो के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उक्त अधिनियम की धारा–6 की उप धारा (1) उपबंधो का पूर्ण संज्ञान लिया गया है।

(विवेक पोरवाल)
प्रबन्ध संचालक

पृ.क्र / 59 / एमपीआईडीसी / स्था–से.नि 17 / 2018 / 1697 to 1709 भोपाल दिनांक 9 .03.2020

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. कार्यकारी संचालक क्षेत्रीय कार्यालय एमपी आई.डी.सी.लि., भोपाल / इन्दौर / जबलपुर / रीवा / ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर अपेक्षित है कि कृपया चरित्र सत्यापन संबंधी शपथ पत्र की मूल प्रति एवं जिला मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों का मूल प्रमाण पत्र से मिलान करते हुए उन्हें प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित कराएँ।
3. प्रभारी मुख्य अभियंता एमपी आई.डी.सी.लि., भोपाल।
4. महाप्रबन्धक, प्रशासन, एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित कर अपेक्षित है कि कृपया पृष्ठांकन क्रमांक 02 में वर्णित निर्देश अनुरुप ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित कराएँ तथा आदेश प्रति निगम वेबसाईट में प्रदर्शित कराएँ।
5. श्री / सुश्री...की ओर प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि आदेश जारी होने के पश्चात दिनांक 07 अप्रैल 2020 तक निर्धारित कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा समयावधि के पश्चात नियुक्ति आदेश सम्बधित निगम सेवक के परिप्रेक्ष्य में स्वयमेव समाप्त माना जावेगा।

<u>संलग्न :–चरित्र सत्यापन शपथ पत्र प्रारुप</u>

प्रबन्ध संचालक